महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

"नारी शक्ति पुरस्कार" महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार - दिशानिर्देश

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को मनाया जाता है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह दिवस राष्ट्र के प्रति महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने और समाज में उनके योगदान के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में मनाता है ।

इसलिए, मंत्रालय ने महिलाओं, विशेषकर संवेदनशील और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष "**नारी शक्ति पुरस्कार**" प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

2. उद्देश्य

2.1 पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को पहचान दिलाने और सभी क्षेत्रों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए हैं तथा महिलाओं से जुड़े मुद्दों ने सर्वाधिक महत्व एवं संकेंद्रित ध्यान हासिल किया है। "नारी शक्ति पुरस्कार" समाज में महिलाओं के स्थान को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे।

2.2 नारी शक्ति पुरस्कार से युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को समझने का अवसर मिलेगा ।

2.3 ये पुरस्कार लोगों और संस्थानों के लिए, विजेताओं के संघटन का अनुकरण करने के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे ।

3. विवरण

3.1 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को की जाएगी और पुरस्कार 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे ।

3.2 अधिकाधिक 30 पुरस्कार (व्यक्तियों और संस्थानों सहित) प्रदान किए जाएंगे । प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और 1,00,000/-रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी ।

4. नामांकन के लिए पात्रता मानदंड

4.1 सभी व्यक्ति और संस्थान इन पुरस्कारों के नामांकन के लिए पात्र हैं ।

4.2 वैयक्तिक श्रेणी के मामले में नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को पुरस्कार प्राप्तकर्ता की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए ।

4.3 यदि आवेदक संस्था/संगठन है तो उसे संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

4.4 आवेदक ने इससे पूर्व कभी यह पुरस्कार (मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए "स्त्री शक्ति पुरस्कार" सहित) प्राप्त नहीं किया हो।

4.5 नारी शक्ति पुरस्कार विशेष परिस्थतियों में किए गए असाधारण कार्य के लिए व्यक्तियों/ समूहों/ संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों आदि को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग और महिलाओं के पक्ष में सार्थक कार्रवाईयां करने के लिए दिए जा सकते हैं।

नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों/ समूहों/ गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थानों आदि को प्रदान किए जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को निर्णयकारी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया हो; पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया हो; ग्रामीण महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की हो; महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे गैर-पारंपरिक, कला, संस्कृति खेल आदि क्षेत्रों में बढ़ावा दिया हो।

4.6 बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार लाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भी एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

4.7 सामान्यत: कोई भी पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे मामलों के, जिनमें मृत्यु, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करने के पश्चात हुई हो।

5. नामांकन

5.1 पुरस्कार के लिए नामांकन निम्नलिखित से आमंत्रित किए जाएंगे :

(क) राज्य सरकारें, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग।

(ख) गैर-सरकारी संगठन, विश्व-विद्यालय, सस्थान, राज्य सरकार/केंद्रीय मंत्रालय/संबंधित विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्यरत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान।

(ग) तथापि, अपवादित मामलों में चयन समिति स्व-अधिकार से पर्याप्त औचित्य के साथ किसी व्यक्ति/संस्थान का इस पुरस्कार के लिए चयन कर सकती है।

(घ) इस पुरस्कार के लिए स्व-नामांकन करने पर भी विचार किया जाएगा।

5.2 ये नामांकन आवेदन-प्रपत्र (**अनुलग्नक-I**) के अनुसार आवेदन-प्रपत्र में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज़ों सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

5.3 ऊपर पैरा 5.1 में नामांकन किए गए नामांकितों के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

6. नामांकन आमंत्रित करने की पद्धति

6.1 पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मंत्रालय राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी आवेदन आमंत्रित करेगा।

6.2 निर्धारित प्रपत्र के साथ-साथ यह सूचना मंत्रालय की वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया पटल (फेसबुक, ट्विटर आदि) पर अपलोड किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

7. नामांकनों की स्क्रीनिंग

7.1 मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों और संस्थानों की उपलब्धियों पर विचार करने हेतु पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच और चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा ।

7.2 स्क्रीनिंग कमेटी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i)	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	अध्यक्ष पदेन
(ii)	महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ/ जेंडर विशेषज्ञ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(iii)	संबंधित निदेशक/ उप-सचिव स्तर का अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(iv)	निदेशक/ उप-सचिव स्तर का अधिकारी, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं नीति आयोग	-	सदस्य
(v)	सीआईआई एवं एफएलओ (फिक्की) का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(vi)	संबंधित अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

8. चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन

8.1 महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन करने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाएगा ।

8.2 चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i)	माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	अध्यक्ष पदेन
(ii)	माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(iii)	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(iv)	विशेष अथवा अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(v)	सचिव या उनका प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(vi)	पांच राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात गैर-सरकारी संगठन/व्यक्ति/ संस्थान	-	सदस्य, सहयोजित
(vii)	संयुक्त सचिव (महिला पुरस्कार)	-	सदस्य सचिव

8.3 चयन समिति राज्य सरकारों/ केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के अलावा स्व-विवेक से अन्य व्यक्तियों पर भी विचार कर सकती है।

8.4 मंत्रालय को किसी भी प्रविष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. पुरस्कार वितरण

9.1 ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

9.2 इस मंत्रालय द्वारा पुरस्कार विजेताओं को बिलों व वायु टिकटों की प्रस्तुति करने पर एयर इंडिया या विशेषतौर पर अनुमत किसी अन्य वायु सेवा के द्वारा निकटतम रूट के माध्यम से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए, स्थानीय परिवहन भत्ते सहित यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं के लिए तीन दिन (पुरस्कार समारोह की तिथि से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद) के लिए रहने और खाने-पीने की व्यवस्था करेगा।

*****

अनुलग्नक-I

<u>नामांकन प्रपत्र</u>

क. संस्थानिक पुरस्कारों के लिए सिफारिश हेतु प्रारुप

1.	पूरा नाम : संगठन एवं संस्थान का पूरा पता :	
2.	संस्थान के मुखिया का नाम :	
3.	संपर्क विवरण : i.) लैंडलाइन फोन नं. ii.) मोबाईल नं. iii.) फैक्स नं. iv.) ई-मेल पता	
4.	विशेषज्ञता का क्षेत्र (कृपया संस्थान के नियम एवं अंतर्नियम की प्रति संलग्न करें जिसमें उद्देश्य और उप नियम हों) : (जहां कहीं लागू हों)	
5.	मूल संगठन या पंजीकृत संस्था का नाम (कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें - जहां कहीं लागू हो) :	
6.	प्रबंध समिति का ब्यौरा (या समकक्ष और इसके सदस्यों की योग्यता) :	
7.	संगठन किस स्तर पर काम कर रहा है : i.) क्षेत्रीय स्तर ii.) राज्य स्तर iii.) राष्ट्रीय स्तर iv.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर	
8.	स्टाफ की कुल संख्या :	
9.	यदि संभव हो तो कृपया पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें :	
10.	महिला सशक्तीकरण की दिशा में पिछली पांच वर्षों की सेवा के दौरान विशेष या उत्कृष्ट उपलब्धियां (समय-सीमा, प्रभाव एवं परिणामों सहित) :	

11.	प्राप्त पुरस्कारों/ सम्मानों/ विवरण/ प्रशस्ति पत्रों का विवरण यदि कोई हो (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें) :	
12.	पुरस्कार का औचित्य (ब्यौरों के साथ अलग से पत्रक संलग्न करें)	

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ ....संस्थान/ व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है ।

हस्ताक्षर

नाम :

स्थान :

संपर्क का पूरा पता :

तिथि :

मोबाइल नं. :

ई-मेल आईडी :

<u>नामांकन प्रपत्र</u>

क. संस्थानिक पुरस्कारों के लिए सिफारिश हेतु प्रारुप

फोटो

1.	पूरा नाम पूरा पता	
2.	जन्मतिथि	
3.	पदनाम	
4.	संपर्क विवरण : i.) लैंडलाइन फोन नं. ii.) मोबाईल नं. iii.) फैक्स नं. iv.) ई-मेल पता	
5.	शैक्षिक योग्यता :	
6.	व्यावसायिक अनुभव का विवरण	
7.	महिला सशक्तीकरण के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान किया गया विशेष कार्य :	
8.	प्राप्त पुरस्कारों/ सम्मानों/ विवरण/ प्रशस्ति पत्रों का विवरण यदि कोई हो (प्रशस्ति पत्र संलग्न करें) :	
9.	पुरस्कार का औचित्य (ब्यौरों के साथ अलग से पत्रक संलग्न करें)	

मैं एतद्‌द्‌वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ ....संस्थान/ व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है ।

हस्ताक्षर

नाम :

स्थान :

संपर्क का पूरा पता :

तिथि :

मोबाइल नं. :

ई-मेल आईडी :